सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांकः 146 /सो.आ.नि.– 312/2016
दिनाँकः 08 जून, 2017

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बस्ती, मऊ तथा कासगंज को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः सोशल आडिट ग्रामसभा सम्पन्न होने के उपरान्त भारत सरकार तथा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए सोशल आडिट प्रतिवेदनों एवं सम्बन्धित डाटा को फ्रीज किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्र सं0 484/सो0आ0नि0–312/2016 दिनांक 14.10.2016 का सन्दर्भ लें जिसमें सोशल आडिट ग्राम सभा सम्पन्न होने के 5 दिनों के अंदर सोशल आडिट प्रतिवेदन को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 05.06.2017 को एम0आई0एस के सम्बन्ध में आयोजित वर्कशाप में दिए गए निर्देशों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार की निम्नांकित वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा को फ्रीज किया जाना आवश्यक है:–

Format 2A works Executed (genral)
Format 2B works Expenditure (wages and material)
Format 3 payment to workers
Format 4 Entitlement to SC/ST Households

अतः उक्त वेबसाइट पर फीड किए गए डाटा को डाउनलोड कर सोशल आडिट verification के बाद प्राप्त प्रतिवेदनों को वेबसाइट पर जनपदों द्वारा अपलोड किया जाता है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार की वेबसाइट पर Format 2A , Format 2B , Format 3, Format 4 तथा Social Audit Process detail को फीड करते हुए ग्राम पंचायत का डाटा शीघ्रातिशीघ्र फ्रीज किया जाना है।

आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार की वेबसाइट पर ग्राम पंचायतवार अपलोड किए गए डाटा को पूर्ण परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर फ्रीज करा लिया जाए। यदि डाटा को फ्रीज करने में कोई कठिनाई हो तो मार्गदर्शन हेतु निदेशालय में श्री उमेश मणि त्रिपाठी, उपायुक्त, सोशल आडिट से उनके दूरभाष (9454465556) तथा श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, प्रोग्रामर, सो0आ0 से उनके दूरभाष (0522–2630877, 9721432367) के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

(गोविन्द राजू एन0एस0)
निदेशक